न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
412/2025

दायर दिनांक
31.07.2025

निर्णय दिनांक
15-12-2025

उनवान

1. लीला पुत्री जमना जाट, निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. शान्ति पुत्री जमना जाट, निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. सुरेश पिता जमना जाट, निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. टम्मु पत्नी गणेश जाट, निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

— विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. **प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री कन्हैया लाल सेन उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।**
3. **विपक्षी संख्या 02 की और से पैराकार सरकार।**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाती कृषि भूमि वाके ग्राम कान्दा पटवार हल्का कान्दा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 531/1 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है जो राजस्व जमाबन्दी में अंकित है। उक्त वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण द्वारा माप व सीमाकंन करवाया गया जिससे आराजी नम्बर 531/1 का रकबा करीब 18 बिस्वा है जो कि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शा व मौका पर माप करने पर मौके पर व राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 531/1 का रकबा 08 बिस्वा ही है जो कि आराजी नम्बर 531/1 में करीब 00 बीघा 10 बिस्वा भूमि कम है जो कि विपक्षी संख्या 01 टम्मू पत्नि स्व० गणेश जाट की आराजी नम्बर 2682/531 मे मिली हुई है जिसे दुरस्ती करवाने हेतू प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 को कई बार निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 531/1 का रकबा जमाबंदी में 00 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है किन्तु मोके व नक्शा मे उक्त आराजी का रकबा 00 बीघा 10 बिस्वा कम पड रहा है जो कमी रकबा है व तुम्हारी जमीन में मिला हुआ है जिसे पुनः हमारे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करावे किन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करवाने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया जिससे प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 531/1 रकबा 0.2276 यानि 00 बीघा बिस्वा भूमि है जिसका मूल नम्बर आराजी नम्बर 531 थे जिसका विभाजन होने के पश्चात 531 के बटटा नम्बर आराजी नम्बर 531/1, 531/2 व 2682/531 कायम किये जिसका जमाबंदी मे तो विभाजन सही किया गया किन्तु नक्शें में जो तरमीम की गई वह बिल्कुल ही गलत की गई, आराजी नम्बर 531/1 का वर्तमान मे रकबा 0.2276 हैक्टयर यानि 00 बीघा 18 बिस्वा दर्ज रेकॉर्ड है किन्तु राजस्व नक्शा व मौका का माप व सीमांकन करने पर आराजी नम्बर 531/1 का रकबा नक्शा व मौका पर 00 बीघा 08 बिस्वा ही है जो कमी रकबा है व राजस्व कर्मचारियों की गलती से विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 2682/531 में मिला दिया जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे दुरस्त किया जाकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 2682/531 के राजस्व नक्शें मे तरमीम जो वर्तमान में 02 बीघा 18 बिस्वा हो रही है जिसमे से 00 बीघा 10 बिस्वा भूमि कम की जाकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 531/1 के नक्शें में मिलायी जाकर नक्शा व मौका पर तरमीम सही की जाकर रेकॉर्ड मे दुरस्ती करवाई जाने हेतू यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजी नम्बर 531/1 के मूल आराजी नम्बर 531 थे जिसके बटटा नम्बर डालते हुऐ नक्शें मे अलग–अलग तरमीम कर दी गई किन्तु पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा पूर्व की तरमीम के अनुसार नही कर गलत व मनमकसुद तरिके से तरमीम कर दी गई जबकि पूर्व मे तरमीम में नक्शा मे मौका अनुसार तरमीम की गई उसी अनुसार तरमीम होनी चाहिए किन्तु पटवार हल्का व भू–अलिलेंख निरिक्षक ने मौका की जांच व तहकीकात किये बिना ही विपक्षीगण से मिलीभगत कर राजस्व नक्शे मे गलत व अवैध तरमीम कर दी गई इसलिए दुरस्ती की जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् नक्शें मे तरमीम दुरस्ती का स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम कान्दा पटवार हल्का कान्दा भू–अभिलेंख निरिक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) मे स्थित विपक्षी संख्या 01 की कृषि भूमि आराजी नम्बर 2682/531 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा है जिसका मौके पर नक्शा का माप करने पर नक्शें मे करीब 00 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिक आ रही है जिसे अधिक आ रही भूमि को कम की जाकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 531/1 के नक्शें मे मिलाया जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा के नाम आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 3161 दिनांक 16.09.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसके अनुसार ग्राम कान्दा की आराजी नम्बर 53/1 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार टम्मु पत्नी गणेश हिस्सा 4/9 लीला पुत्री जमना हिस्सा 1/5 शान्ति पुत्री जमना हिस्सा 1/5 सुरेश पुत्र जमना हिस्सा 7/45 जाट सा0 देह के नाम एवं आराजी नम्बर 2682/531 रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार टम्मु पत्नी गणेश जाट सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादी ने अपने वादपत्र में बताया कि उसकी आराजी नम्बर 531/1 रकबा 0.2276 हैक्टेयर (0–18 बिस्वा) भूमि की तरमीम नक्शें लठ्ठे में 0–18 बिस्वा के बजाय 0–08 बिस्वा ही हो रखी है यानि 0–10 बिस्वा कम। जबकि प्रतिवादी की आराजी नम्बर 2682/531 रकबा 0.6323 हैक्टेयर (2–10 बीघा) भूमि की तरमीम नक्शे लठ्ठे में 2–10 बीघा के बजाय 3–00 बीघा हो रखी है, यानि 0–10 बिस्वा भूमि कम करके अपनी आराजी की तरमीम को सही कराना चाहते है।

ग्राम कांदा की उक्त आराजी नम्बर 531/1 का रकबा राजस्व रेकार्ड अनुसार 0.2276 हैक्टेयर (0–18 बिस्वा) है जबकि नक्शे लठ्ठे में उक्त आराजी का रकबा बरारी करने पर रकबा 0–10 बिस्वा यानि 0.1265 हैक्टेयर बनता है तथा आराजी नम्बर 2682/531 का राजस्व रेकार्ड अनुसार रकबा 0.6323 हैक्टेयर (2–10 बीघा) है जबकि नक्शे लठ्ठे में उक्त आराजी का रकबा बरारी करने पर रकबा 2–14 बीघा यानि 0.6829 हैक्टेयर बनता है। इस प्रकार प्रतिवादी की आराजी नम्बर 2682/531 में रेकार्ड के मुकाबले 0–04 बिस्वा भूमि की अधिक तरमीम है तथा वादी की आराजी नम्बर 531/1 में रेकार्ड के मुकाबले 0–08 बिस्वा भूमि की कम तरमीम है। प्रतिवादी की आराजी नम्बर 2682/531 रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि की नक्शे लठ्ठे में हुई 0–04 बिस्वा अधिक भूमि की तरमीम को वादी की आराजी नम्बर 531/1 की तरमीम में संशोधन संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार किया जा सकता है।

प्रकरण में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 के मध्य राजीनामा हो गया है जिससे उक्त वाद प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है और तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रकबा बरारी की मौका रिपोर्ट सही है एवं तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 सहमत है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम कांदा की उक्त आराजी नम्बर 531/1 का रकबा राजस्व रेकार्ड अनुसार 0.2276 हैक्टेयर (0–18 बिस्वा) है जबकि नक्शे लठ्ठे में उक्त आराजी का रकबा बरारी करने पर रकबा 0–10 बिस्वा यानि 0.1265 हैक्टेयर बनता है तथा आराजी नम्बर 2682/531 का राजस्व रेकार्ड अनुसार रकबा 0.6323 हैक्टेयर (2–10 बीघा) है जबकि नक्शे लठ्ठे में उक्त आराजी का रकबा बरारी करने पर रकबा 2–14 बीघा यानि 0.6829 हैक्टेयर बनता है। इस प्रकार प्रतिवादी की आराजी नम्बर 2682/531 में रेकार्ड के मुकाबले 0–04 बिस्वा भूमि की अधिक तरमीम है तथा वादी की आराजी नम्बर 531/1 में रेकार्ड के मुकाबले 0–08 बिस्वा भूमि की कम तरमीम है। प्रतिवादी की आराजी नम्बर 2682/531 रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि की नक्शे लठ्ठे में हुई 0–04 बिस्वा अधिक भूमि की तरमीम को वादी की आराजी नम्बर 531/1 की तरमीम में संशोधन संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार किया जा सकता है। भू–नक्शा में तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतःएव्

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम कांदा की विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 2682/531 रकबा 0.6323 हैक्टेयर में से तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट/प्रस्तावित नक्शे अनुसार 04 बिस्वा कम करते हुये प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 531/1 के राजस्व नक्शें/भूनक्शे में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट/प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। लठ्ठा नक्शा अनुसार दुरूस्ती से कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शें/भूनक्शा में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा